


बिहार सरकार
गृह विभाग
आदेश

संख्या-जी/आपदा-06-02/2020-368/अ.मु.स.को. पटना, दिनांक 07 सितम्बर 2020

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा Covid-19 का प्रसार रोकने हेतु आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I (A) दिनांक 29 अगस्त, 2020 के माध्यम से दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए Containment Zone में लॉकडाउन की अवधि को दिनांक 30.09.2020 तक विस्तारित किया गया है तथा कतिपय अन्य निदेश भी दिये गए हैं।


2. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गृह मंत्रालय का उपर्युक्त आदेश एवं उसके साथ संलग्न दिशा-निर्देशों को बिहार राज्य में यथावत लागू एवं अनुपालित किया जाए।

3. अतः राज्य सरकार के सभी विभागों एवं क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि गृह मंत्रालय के उपर्युक्त आदेश तथा उसके साथ संलग्न दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।


(आमिर सुबहानी)
अपर मुख्य सचिव


संख्या-जी/आपदा-06-02/2020-368/अ.मु.स.को. पटना, दिनांक 07 सितम्बर 2020

प्रतिलिपि : सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आमिर सुबहानी)
अपर मुख्य सचिव


संख्या-जी/आपदा-06-02/2020-368/अ.मु.स.को. पटना, दिनांक 07 सितम्बर 2020

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/पुलिस महानिदेशक/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव (श्री अनुपम कुमार)/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव (श्री मनीष कुमार वर्मा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


(आमिर सुबहानी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-जी/आपदा-06-02/2020-368/अ.मु.स.को. पटना, दिनांक 07 सितम्बर 2020

प्रतिलिपि : गृह सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।


(आमिर सुबहानी)
अपर मुख्य सचिव
7.9.20